

कार्यालय वन मंडल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

दूरभाष :07744-225059 (का.), 226389 (नि) ई-मेल dfo-rajnandgaon.cg @gov.in

ज्ञापन क्र./मा.चि./39/ 3266

राजनांदगांव, दिनांक 16/3/2018

—संशोधित—

प्रति,

Director,
RRWRTL 7A, Sambhav Building
Judges Bungalow Road, Bodakdev,
Ahmedabad - 380015

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 for the purpose of 765 KV D/C Raipur-Rajnandgaon-Warora Transmission Line, Area-

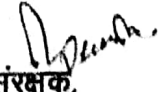
10.0555 ha. Regarding—आनलाईन पंजीयन क्रमांक-FP/CG/TRANS/18792/2016

- संदर्भ :-**
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) रायपुर छ.ग. का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विद्युत/479-143/1605 दिनांक 16.05.2017
 2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./39/3208 दिनांक 15.03.2018 ।

- " -

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र जो आपको भी संबोधित है। राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत बाघनदी परिक्षेत्र के संरक्षित वनकक्ष क्रमांक 633, 657 रकबा 3.899 हे. राजस्व वनक्षेत्र 6.156 हैं. (छोटे बड़े झाड़ के जंगल) में 765 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन की स्थापना हेतु कुल रकबा 10.0555 हे. के गैरवानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के अधिरोपित शर्त के अनुसार संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार बिन्दु क्रमांक VIII में प्रत्याशा मूल्य (NPV) से संबंधित वचन पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसके संबंध में प्रत्याशा मूल्य (NPV) की दर खुला वन क्षेत्र की दर 6.26 लाख की दर से 62,94,743.00 रु. (बैसठ लाख चौरानबे हजार सात सौ तिरालीस रुपये मात्र) की राशि प्रकरण में जमा किया जाना था। आपके द्वारा प्रत्याशा मूल्य की राशि 62,64,577.00 रु. (बैसठ लाख चौसठ हजार पाँच सौ सत्तर रुपये) एढाक कैम्पा में जमा किया है। पूर्व में अंतर की राशि 29791/- (उन्नीस हजार सात सौ इक्यानबे रुपये मात्र) जमा करने हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको लेख किया गया था जिसे निरस्त माना जावे एवं संशोधित शेष अंतर की राशि 30168.00 रु (तीस हजार एक सौ छैसठ रुपये मात्र) आप स्वयं वेब-पोर्टल पर ई-चालान जनरेट कराकर एँडहाक कैम्पा खाता में जमा कर एक प्रति इस कार्यालय में देवे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

यदि प्रत्याशा मूल्य माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर उपरोक्त राशि के अतिरिक्त और राशि का भुगतान किया जाना होगा तो उसे भी आपके द्वारा किया जावेगा।


वन संरक्षक,
प्रभारी वनमंडल अधिकारी
वनमंडल राजनांदगांव (छ.ग.)